


27-11-20

1-11-23

वकील बोदी द्वारा प्रकरण में कोर्ट का क्वॉरन
नहीं चलने बाबत प्रार्थना-पत्र पेश करने



पर पत्रावली तलब की गई। प्रस्तुत प्राचीन-
पत्र अनुसार वादीगण द्वारा उक्त वाद में कोई
कार्यवाही नहीं चाही जा रही है।

हमने उक्त प्राचीन-पत्र का अवलोकन
किया एवं उपास्थित वादी, वकील वादी को सुना।
वकील वादी ने जाहिर किया कि वादीगण द्वारा
उक्त वाद में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं
चाही जा रही है। अतः वादीगण का वाद खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फैसल बुझाव लेकर नम्बर
से कम हो।

~~१~~ ०१-११-२५

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगड़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगड़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगड़ (अजमेर)